2605/6 पंचायत पेश हुई। ग्राम लोक अभियोग
[illegible] ग्रा.पं. गढ़मोरा में मामला व
शिकायतकर्ता उपस्थित आये। दोनों
पक्षकारों को रूबरू बुलाकर उन्हें
पंचायत में उपलब्ध हस्तावेज में
का अवलोकन करने मामला
इस निष्कर्ष पर पहुँचता है
कि प्राइमाफेसी, वाद, सुविधा का
संतुलन व अपूरणीय क्षति
तीनों ही बिन्दु मामले के
पक्ष में होना प्रतीत होता है
अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा
स्वीकार किये जाने योग्य है
अतः मामले विलम्ब निष्पादन
प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा
स्वीकार किया जाता है। विपक्षी
प्रथक को निरस्त्रा जाकर स्थायी
निरस्त रहे। पंचायत [illegible]
मानी जाकर कार्यवाही [illegible]

महेन्द्र सिंह [illegible]
उपसरपंच ग्राम पंचायत [illegible]